



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



RPCB/RO NGR/PUB-20/1129-33

Date: 24.6.24

M/s Sh. Gaje Singh S/o Sh. Madhu Singh,
M.L. No. 45/2022,
Near Village- Bakliyawas, Tehsil- Merta,
District- Nagaur (Raj.)
Email- newmahadev086@gmail.com

Sub.- Public hearing for Environmental Clearance for "Masonry Stone Mining Cluster Projects, (M.L. No. 45/2022, 10/2022, 11/2022, 41/2022, 42/2022, 43/2022, 44/2022, 46/2022 & 47/2022)" Proposed capacity of the cluster is - 6,92,899 TPA(ROM) and Total Cluster Area- 10.5526 Hectare, Applied by M/s Sh. Gaje Singh S/o Sh. Madhu Singh, M.L. No. 45/2022, Mine Lease Area of 1.2248 Hectare, with the Proposed production capacity- 89,724 TPA (ROM), Located at Near Village- Bakliyawas, Tehsil- Merta, District- Nagaur (Raj.)."

- Ref.:- 1. Letter no. 3917 dated 19.06.2024 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no.61-63 dated 15.04.2024.
3. Auto TOR issued by SEIAA, Rajasthan, File No. AT000488 Dated 30-11-2023 (Proposal No. SIA/RJ/MIN/445585/2023).

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 3917 dated 19.06.2024 in which public hearing has been finalized on dated 29.07.2024 at 10.00 A.M.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper and one regional daily newspaper in any case on or before 28.06.2024. The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at Government Upper Primary School, Bakliyawas, Tehsil- Merta, District- Nagaur At 10.00 AM on 29.07.2024 for the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely

(Sachin Kumar)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 3917 dated 19.06.2024.
3. The Sub Divisional Magistrate, Merta.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Regional Officer



क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण, सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर- 341001 (राज.), ई-मेल-rorpcb.nagaur@gmail.com



क्रमांक:- राप्रनिम/आरओ-नागौर/पी.यू.बी.-20/

दिनांक:

पर्यावरणीय स्वीकृति चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

1. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "प्रस्तावित चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) खनन क्लस्टर परियोजना आवेदक मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह, एम.एल.नं. 45/2022, कुल क्लस्टर क्षेत्र- 10.5526 हेक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-6,92,899, प्रस्तावित खनन क्षेत्र 1.2248 हेक्टेयर, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 89,724 TPA(ROM){Saleable Mineral-80,752 TPA, Waste- 8,972 TPA}, गांव- बाकलियावास, तहसील-मेड़ता, जिला-नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक चेजा पत्थर (अप्रधान खनिज) क्लस्टर खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि मैसर्स श्री गजे सिंह पुत्र श्री मधु सिंह ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आपष की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :-
 1. जिला कलक्टर, नागौर।
 2. CEO जिला परिषद नागौर।
 3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
 4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
 5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
 6. उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता।
 7. तहसीलदार, मेड़ता।
 8. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
 9. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
 10. ग्राम पंचायत, बाकलियावास।
 11. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर।

अतः सर्व साधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/ज.सु. 2024/3917 दिनांक 19.06.2024 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 29.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे, स्थान- राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बाकलियावास परिसर, तहसील- मेड़ता, जिला-नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला-नागौर को भी दिये जा सकते हैं।

भवदीय
(संदिपन कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी